

कार्यालय-कृषि उपज मण्डी समिति, जैजैपुर

शासकीय कॉलेज रोड, जैजैपुर, जिला-सक्ती (छ.ग.) 495690
e-mail :- jaijaipur.mandi@gmail.com

क्र./मंडी/निर्माण/2026-27/ 330

जैजैपुर, दिनांक 31.10.2026

—: सेण्डीशॉप की नीलामी सूचना :—

समस्त इच्छुक व्यापारी/व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति जैजैपुर जिला-सक्ती के उप मण्डी प्रांगण हसौद में निर्मित सेण्डीशॉप (दुकान) की नीलामी कृषि उपज मण्डी समिति जैजैपुर के उप मण्डी प्रांगण हसौद में दिनांक 13.10.2026 दिन-मंगलवार, समय दोपहर 12 बजे निर्धारित किया गया है। उपमंडी प्रांगण हसौद के सेण्डीशॉप (दुकान) क्रमांक 1 से 6 तक अनारक्षित रखी गई है तथा दुकान क्रमांक 7 एवं 8 एग्री बिजनेस हेतु व दुकान क्र. 09 गौ उत्पाद (दुग्ध, घी, पंचगव्य, कीटनाशक) और दुकान क्र. 10 जैविक उत्पाद परम्परागत रूप से उत्पादित धान की सुगंधित किस्म व लघु धान्य विपणन हेतु आरक्षित रखी गई है। आरक्षित सेण्डीशॉप 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर आवंटित किया जाना है। नीलामी शर्तों में दी गई समस्त अभिलेख सहित समस्त दुकान के लिये कार्यालयीन समय में आवेदन दिनांक 09.10.2026 दिन-शुक्रवार, कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्तें :-

- (1) सशर्त नीलामी स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड रायपुर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6590 दिनांक 23.01.2020 शर्तों के अनुसार नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
- (2) आरक्षित दुकान के लिए आवेदनकर्ता को एग्री बिजनेस गौ उत्पाद/जैविकउत्पाद/परम्परागत रूप से उत्पादित धान्य के सुगंधित किस्म एवं लघु धान्य फसलो के व्यवसाय, का जीवित एवं वैध पंजीयन होना अनिवार्य है साथ ही उपरोक्त व्यवसाय का दो वर्ष का अनुभव तथा विभाग में जमा किये गये वार्षिक रिटर्न जमा करना होगा। आवेदनकर्ता को शपथपत्र देना होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शासकीय/निजी एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों से कृषि स्नातक को एवं मैनेज (राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान) के अंतर्गत एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस प्रमाण पत्र धारी को प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित सेण्डीशॉप के किरायेदार से किसी भी प्रकार का अमानत व प्रीमियम की राशि नहीं ली जावेगी, केवल निर्धारित किराया लिया जावेगा।
- (3) उपमंडी प्रांगण हसौद के अनारक्षित सेण्डी शॉप दुकान हेतु अमानत की राशि 52,100/- निर्धारित किया गया है। जो प्रकाशन दिनांक से दिनांक 09/10/2026 दिन-शुक्रवार, कार्यालयीन समय तक नगद/ड्राफ्ट सचिव कृषि उपज मण्डी समिति जैजैपुर के नाम स्वीकार होगा। अमानत की राशि निर्धारित अवधि के पश्चात् जमा नहीं किया जावेगा।
- (4) एक व्यक्ति को एक ही दुकान आवंटित किया जावेगा।
- (5) जिस व्यवसायी के नाम से राशि जमा की जावेगी वह किसी कारण से नीलामी में उपस्थित नहीं हो पाता तो अपना प्रतिनिधि 50/- के स्टॉम्प पेपर/नोटरी कराकर उस के ओर से बोली लगाने हेतु नियुक्त कर सकता है। जिसे नीलाम होने के पूर्व सक्षम अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- (6) उपमण्डी प्रांगण हसौद के अनारक्षित सेण्डीशॉप दुकान हेतु प्रत्येक दुकान का मासिक किराया राशि रु. 3,900/- प्रतिमाह होगा।
- (7) उपमण्डी प्रांगण हसौद के नीलामी की शासकीय बोली राशि रु. 1,30,200/- से प्रारम्भ किया जावेगा तथा अधिकतम बोलीकर्ता को सफल बोली मान्य किया जावेगा।
- (8) अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में मण्डी प्रांगण जैजैपुर जिला-सक्ती में अवलोकन किया जा सकता है।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति जैजैपुर
जिला-सक्ती (छ.ग.)

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति जैजैपुर
जिला-सक्ती (छ.ग.)

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर
जिला - सक्ती (छ.ग.)